



2026:AHC: 2991

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19657 वर्ष 2025

कमलेश कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें 23.03.1998 से 01.04.1998 तक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध चार आपराधिक मामले दर्ज हुए जो केस अपराध संख्या 309 वर्ष 2012, 313 वर्ष 2012, 262 वर्ष 2012 और 811 वर्ष 2012 हैं। वर्तमान में याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें कर्तव्यों के पालन से रोक दिया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट का लंबित होना, उन्हें कर्तव्यों के पालन से रोकने का आधार नहीं हो सकता। वह रिट-ए संख्या 16186 वर्ष 2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य), निर्णय दिनांक 26.09.2025 के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि मामला जो भी हो, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उन्होंने पहले ही जवाब प्रस्तुत कर दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. जो भी हो, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जिसे 16.01.2026 तक प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त 'महेश सिंह' (पूर्व उद्धृत) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करेंगे।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

9. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया जाता है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)